

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:—01/स्था.(पं.)—02—10/2017...../राँची, दिनांक :...../

— शुद्धि पत्र —

विभागीय अधिसूचना सं.—1566 दिनांक 07.06.2018 (क्रम सं.—30) द्वारा मो. अली इमाम, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को तृतीय एम.ए.सी.पी. दिनांक 14.09.2017 के प्रभाव से स्वीकृति किया गया है। इस अधिसूचना में मो. अली इमाम का सेवा में प्रथम योगदान की तिथि 14.09.87 अंकित है।

2. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मो. अली इमाम का सेवा में योगदान की तिथि 16.07.1987 है।

3. अतः पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं.—1566 दिनांक 07.06.2018 (क्रम सं.—30) में मो. अली इमाम के प्रथम योगदान की तिथि 14.09.1987 के स्थान पर 16.07.1987 एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति की तिथि 14.09.2017 के स्थान पर 16.07.2017 पढ़ा जाय।

4. शेष कंडिका यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./—

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :—

राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपि:—अधीक्षण सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

ह./—

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :—

राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

ह./—

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 4004

रॉची, दिनांक :- 05/12/18

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05.12.18

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।
12/12